



भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ
परियोजना कक्ष

**शुद्धिपत्र: गोमती नगर प्लॉट और सीतापुर रोड प्लॉट, भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ में
अधिकारी आवासीय परिसर के निर्माण हेतु ई-निविदा**

ई-निविदा सं.: [RBI/Lucknow Regional Office/Estate/24/25-26/ET/1051](https://www.mstcecommerce.com)

उपर्युक्त ई-निविदा संख्या RBI/Lucknow Regional Office/Estate/24/25-26/ET/1051 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसे 23 फरवरी, 2026 को एमएसटीसी पोर्टल (www.mstcecommerce.com) पर अपलोड/जारी किया गया था।

2. निविदा (भाग-I) दस्तावेज़ में संशोधन निम्नानुसार हैं:-

- i. पृष्ठ संख्या 21 पर उल्लिखित "ऑनलाइन निविदा (भाग I और भाग II) जमा करने की अंतिम तिथि और समय, तथा भाग I (तकनीकी वाणिज्यिक बोली) के अनुभाग XIII में अनुलग्नक 1 की जांचसूची के अनुसार तकनीकी बोली के दस्तावेज़ों को भौतिक रूप से जमा करने की अंतिम तिथि और समय, को अब इस प्रकार पढ़ा जाए: "ऑनलाइन निविदा (भाग I और भाग II) जमा करने की अंतिम तिथि और समय, तथा भाग I (तकनीकी वाणिज्यिक बोली) के अनुभाग XIII में जांचसूची के अनुसार तकनीकी बोली के दस्तावेज़ों को भौतिक रूप से जमा करने की अंतिम तिथि और समय।"
- ii. पृष्ठ संख्या 23 पर उल्लिखित "तकनीकी वाणिज्यिक बोली (भाग I), कीमत बोली (भाग II), भाग I के अनुभाग XIII के अनुलग्नक 1 में निर्दिष्ट दस्तावेज़ / अनुलग्नों की हस्ताक्षरित प्रति" को अब "तकनीकी वाणिज्यिक बोली (भाग I), कीमत बोली (भाग II), भाग I के अनुभाग XIII की जांचसूची में निर्दिष्ट दस्तावेज़ / अनुबंधों की हस्ताक्षरित प्रति" के रूप में पढ़ा जाए।
- iii. पृष्ठ संख्या 58 पर उल्लिखित अनुलग्नक 2 (...अनुसूची XIII में अनुलग्नक 2 में करार की शर्तों का प्रारूप) को अनुलग्नक 1 के रूप में पढ़ा जाए।
- iv. पृष्ठ संख्या 54 (क्रम संख्या 13(ii)) और पृष्ठ संख्या 1019 (ईएमडी) पर उल्लिखित अनुलग्नक 3 को अनुलग्नक 2 के रूप में पढ़ा जाए।
- v. पृष्ठ संख्या 58 (22. कार्य निष्पादन गारंटी), पृष्ठ संख्या 72 (खंड 1 (i) कार्य निष्पादन गारंटी) और पृष्ठ संख्या 1020 (अनुबंध का खंड - कार्य निष्पादन गारंटी) पर उल्लिखित अनुलग्नक 4 को अनुलग्नक 3 के रूप में पढ़ा जाए।
- vi. पृष्ठ संख्या 43 (व्यक्ति का नाम... अनुलग्नक 5 के अनुसार...) और पृष्ठ संख्या 53 (क्रम संख्या 9 (iii)) पर उल्लिखित अनुलग्नक 5 को अनुलग्नक 4 पढ़ा जाए।
- vii. पृष्ठ संख्या 95 (खंड 9A (i)(1)) पर उल्लिखित अनुलग्नक 6 को अनुलग्नक 5 के रूप में पढ़ा जाए।



- viii. पृष्ठ संख्या 119 (खंड 19 (iii)) पर उल्लिखित अनुलग्नक 7 को अनुलग्नक 6 के रूप में पढ़ा जाए।
- ix. पृष्ठ संख्या 128 पर उल्लिखित अनुलग्नक 8 (खंड 25 - ठेकेदार पूर्ण रूप से क्षतिपूर्ति करेगा (अनुलग्नक 8) ...) को अनुलग्नक 7 के रूप में पढ़ा जाए।
- x. पृष्ठ संख्या 90 (खंड 7a) पर उल्लिखित अनुलग्नक 9 को अनुलग्नक 8 के रूप में पढ़ा जाए।
- xi. पृष्ठ संख्या 52 पर उल्लिखित अनुलग्नक 10 को [अनुलग्नक 11](#) के रूप में पढ़ा जाए। इसके अतिरिक्त, अनुलग्नक 11 का प्रारूप इसके साथ संलग्न है।
3. निविदा में उल्लिखित अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
लखनऊ



अनुलग्नक 11

सार्वजनिक संस्था(ओं) द्वारा निषेध की घोषणा के संबंध में वचनबद्धता

(निविदाकर्ता द्वारा अपने पत्रशीर्ष पर प्रस्तुत किया जाना है।)

कार्य का नाम: गोमती नगर प्लॉट और सीतापुर रोड प्लॉट, भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ में अधिकारियों के आवासीय परिसर का निर्माण

1. मैं/हम.....(बोली लगाने वाले का नाम) यह घोषणा करता/करते हूँ कि
 - a) मैं/हम या हमारी कोई भी संबद्ध फर्म* भारत या किसी अन्य देश में किसी भी सार्वजनिक संस्थान/निकाय द्वारा(बोली जमा करने की अंतिम तिथि) तक प्रतिबंधित/निलंबित/ब्लैकलिस्ट नहीं है/हैं।
 - b) मैं/हम या हमारी कोई भी संबद्ध फर्म* ने पिछले तीन वर्षों में(बोली जमा करने की अंतिम तिथि) तक भारत या किसी अन्य देश में किसी भी सार्वजनिक संस्थान/निकाय के साथ सत्यनिष्ठा संहिता (जैसा कि निविदा में उल्लेखित है) के संबंध में कोई उल्लंघन नहीं किया है।
 - c) यदि मैं/हम या हमारी कोई भी संबद्ध फर्म* भारत या किसी अन्य देश में किसी भी सार्वजनिक संस्थान/निकाय द्वारा, उपर्युक्त कार्य के लिए कार्य सौंपे जाने से पहले या उस समय तक, प्रतिबंधित/निलंबित/ब्लैकलिस्ट कर दी जाती है/हैं, तो हम बैंक को लिखित रूप में सूचित करेंगे।
2. मैं/हम.....(बोली लगाने वाले का नाम) यह घोषणा करता/करते हूँ कि मैं/हम या हमारी संबद्ध फर्म*.....(संबद्ध फर्म/फर्मों का नाम)(भारत या किसी अन्य देश में सार्वजनिक संस्थान का नाम और पता) द्वारा प्रतिबंधित/निलंबित/ब्लैकलिस्ट है/हैं और यह प्रतिबंध/निलंबन/ब्लैकलिस्टिंग(दिनांक) तक प्रभावी है। आपकी जानकारी और रिकॉर्ड के लिए ऐसे पत्र की एक प्रति संलग्न है।

(बोली लगाने वाले की मुहर और हस्ताक्षर)

दिनांक

स्थान

(नोट: ऊपर दिए गए दो कथनों में से उस कथन को काट दें जो लागू नहीं होता।)

*संबद्ध फर्म: किसी फर्म को "संबद्ध फर्म" तब कहा जाएगा, यदि उसका प्रबंधन एक ही हो, या उसके काफी या अधिकांश शेयर किसी प्रतिबंधित/निलंबित फर्म के स्वामित्व में हों, और इस आधार पर उस फर्म की निर्णय लेने में निर्णायक भूमिका हो। इसके अतिरिक्त, सभी उत्तराधिकारी फर्मों को भी संबद्ध फर्म ही माना जाएगा।